

दबिश के दौरान 12 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 नफर** वारण्टी नाम पता 1. सिकन्दर पुत्र राजकरन निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद 2. महफूज पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी पकड़ी आराजी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, उ0नि0 श्री चन्द्रपकाश दूबे, हे0का0 रामाश्रय यादव, का0 हिमांशू सिंह, का0 रितेश यादव।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 नफर वारण्टी नाम पता 1. लक्ष्मण बेलदार पुत्र स्व0 रामसूरत मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 2. रसीक शिरोमणी शुक्ला पुत्र स्व0 मदन मोहन मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा

3. शंकर यादव पुत्र लाला यादव मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 4. हरिश्चन्द्र यादव पुत्र लाला यादव मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 5. अंकित मिश्रा पुत्र सुरेश मिश्रा मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 6. सोनू यादव पुत्र धूपे यादव मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 7. रामबुझ बेलदार पुत्र पराग निवासी मुण्डेरा शुक्ल थाना धनघटा, 8. फुद्दन हरीजन पुत्र सोमन निवासी चकिया थाना धनघटा, 9. मोती हरिजन पुत्र झिन्नू हरिजन निवासी चकिया थाना धनघटा, 10. दिलीप कुमार पुत्र सुदर्शन निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर न को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण: उ0नि0 श्री रजनीश राय, उ0नि0 रवीन्द्र यादव, उ0नि0 गामा यादव, उ0नि0 रामदरश यादव, उ0नि0 चन्द्रप्रकाश सिंह, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 संतोष यादव, का0 विशाल कुमार, का0 सलमान अंसारी, म0का0 आशा देवी, म0का0 नीलम यादव, का0 अमेरिका प्रसाद।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।*

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।*

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल महिला को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3314 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत जब्बार से इवेन्ट संख्या 10981 से कालर द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल महिला (1. किशलावती पत्नी जितेन्द्र निवासी जब्बार थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद में घायल महिला को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद में घायल हुयी महिला को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 जगदीश कुमार, हो0चा0 रामकेश यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 59 वाहनों से 92,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 59 वाहनों से 92,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.02.2024*

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शस्त्र अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि (03 माह साधारण कारावास) व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/98 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता निजामुद्दीन उर्फ निजाम पुत्र बोदर निवासी जमुहट थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती हा0मु0 जंगल बिहुली टोला बेलौहा थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि (03 माह साधारण कारावास) व 2000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.02.2024*

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप शस्त्र अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि (07 माह साधारण कारावास) व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/98 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता अकबर अली पुत्र नबी निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि (07 माह साधारण कारावास) व 2000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि (05 दिवस साधारण कारावास) व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/1995 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता विलायती बंजारा पुत्र जोखू बंजारा निवासी अरजी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि (05 दिवस साधारण कारावास) व 1000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 08 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 29.02.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 08 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 08 कैमरें लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरूर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना को0 खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 789/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता अब्दुल करीम उर्फ विल्लर पुत्र अब्दुल मजीद निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनविकशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लूट के मामले में के 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनविकशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 268/1998 धारा 392, 411 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता लहरीढाढ़ी पुत्र बुद्धिराम ढाढ़ी निवासी बनकटिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 392 भादवि में 03 वर्ष सश्रम (कठोर) कारावास व 1500रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि के अपराध में 03 वर्ष सश्रम (कठोर) कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड (कुल 2500रु0) के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में के 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 55000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन कनक्वशन”*** व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे ***“ऑपरेशन शिकंजा”*** अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप आज दिनांक 29.02.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश ए0सी0जे0/पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 829/2013 धारा 363, 366, 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामलों में अभियुक्त नाम पता गुड्डू पुत्र दीनानाथ निवासी बेलवनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर धारा 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 363 भादवि के अन्तर्गत 04 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।